यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः

(यजुर्वेद)

अर्थात्

यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा,

क्योंकि यही हितकारी होगा।

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान सूचना आयोग

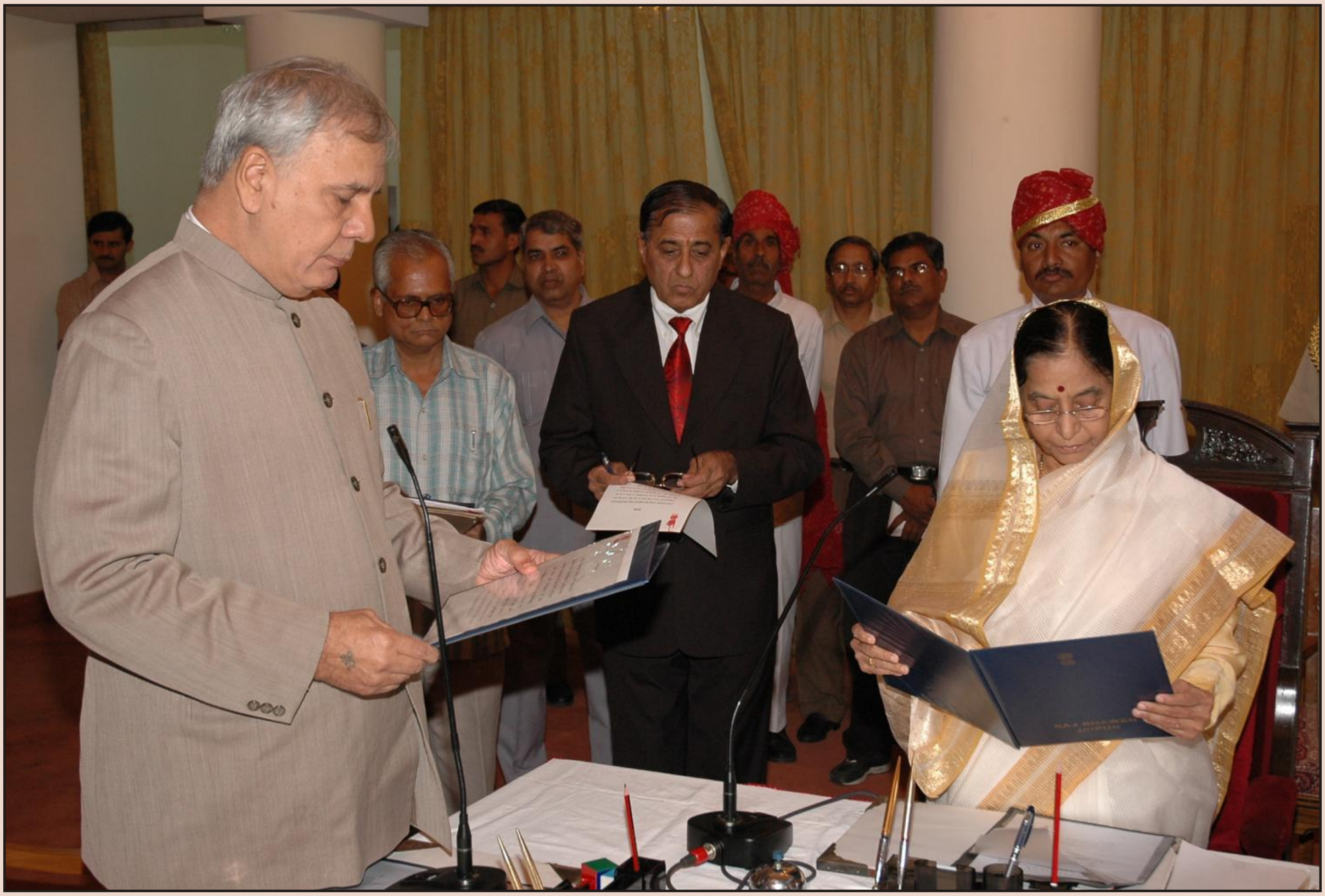

शपथ ग्रहण समारोह

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1—2
2.	अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ	3—5
3.	अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम	6—7
4.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	8—16
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	17—25
6.	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की प्रकृति का विश्लेषण	26—27
7.	संप्रेक्षण	28—30

अध्याय – 1

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनो का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को अच्छे प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे? साधारण जनता कैसे समझे की सरकार उनका पैसा कहाँ खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही है, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं, अथवा नहीं? और यहीं आवश्यक हैं सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी सूचनाएँ अन्ततः जनता के लिए एकत्रित की गई सूचनाएँ है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना, कामकाज का एक सामान्य अंगभर है। वैसे भी हाल के वर्षो में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। समाज के कमजोर व गरीब वर्ग के कल्याण हेतु बनाई गई सार्वजनिक नीतियाँ तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज को सशक्त किया जा सकता है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। पर इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना परिवर्तित हो रही है। जहाँ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, वहीं सूचना के अधिकार का अधिनियम अब सरकार में खुलेपन की माँग करता है। जहाँ पहले उपलब्ध सूचनाओं का प्रकटीकरण करना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, अब इस अधिनियम ने नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर प्रश्न पूछने व उत्तर माँगने का अधिकार दे दिया है। माना जा रहा है कि सूचनाओं तक पहुँच के कारण खराब नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

यों तो प्रभावी राष्ट्रीय सूचना कानून के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। केन्द्र सरकार ने 2002 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर इस दिशा में कदम बढ़ाया था, पर वह प्रभाव में

नहीं आ पाया। वर्ष 2004 में केन्द्रीय सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक ''प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक'' बनाने के उदद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य सर्मथकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें सरकार को सौंपी गई। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1),5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गईं, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर 2005 से देशभर में प्रभावी हुई। (परिशिष्ट–1)

सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकारी में केन्द्रीय व राज्य सरकारें, स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती–राज संस्थाएँ, तथा वे सभी निकायें आती है जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है। कतिपय न्यूनतम छूटों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान है। जहाँ सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ कुछ सूचनाओं को देने से मुक्त रखा है। प्रश्न यही होगा, क्या सूचना को सार्वजनकि हित में उजागर करना जनहित में है या उसे गुप्त रखना ?

निष्कर्ष यह है कि सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार है, जिसे इस अधिनियम ने एक विधिक रूप देकर प्रभावी बनाया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

गोपनीयता के अंधेरों से निकलकर पारदर्शिता के उजाले की ओर ले जाने वाले इस प्रयास, जिसे अब हम ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' के नाम से पुकारते है, का स्थापन, वर्ष 2005 की 15 जून को सम्पूर्ण भारतवर्ष में हुआ। अधिनियम ने नागरिको को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त कर, भारतीय संविधान की मूल भावना "We the people of India" कथन को प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। अतः इसे भारतीय नागरिक के ''जीवन जीने व स्वातन्त्रय के संवैधानिक अधिकार'' को आगे बढ़ाने का ही एक माध्यम माना जा रहा है। यह पूर्व में इस विषय पर बने अन्य अधिनियमों से भिन्न व व्यावहारिक है। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में हैः–

सूचना आयोग

प्रथम यह कि लोक प्राधिकारी के कार्यालय एवं उसके अधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच हेतु, अधिनियम के तहत एक शासन पद्धति स्थापित की गई है जिसे केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठित किया जाकर मूर्तरूप दिया गया है। प्रत्येक आयोग एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, इसे दी हुई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा नियम के अन्तर्गत इसे सौंपे गये कार्यो का निष्पादन करेगा। आयोग के क्रियाकलापों सम्बधी सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन की शक्तियॉ मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगी। शिकायतों की जाँच हेतु लोगों को बुलाने, रिकॉर्ड को बन्द करने आदि हेतु आयोग न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

स्वैच्छिक प्रकाशन

दूसरा यह कि इसके प्रभावी होने पर सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के 120 दिवसों की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं को (धारा 4–ए के तहत बतायेनुसार) तैयार कर अपनी ही ओर से प्रकाशित करना होगा। इसमें रिकार्ड्स का तैयार होना, उसका कम्प्यूटरीकरण कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना कि हर किसी की उस तक पहुँच सम्भव हो, आदि शामिल है। सूचना जन–जन तक आसानी से पहुँचे, इस प्रक्रिया में अखबारों, नोटिस बोर्डों में प्रकाशन के साथ ही जनता के बीच घोषणाओं व टी.वी., रेडियों आदि में प्रसारण दर्शाया जाना भी सम्मिलित है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रति वर्ष अद्यतन करने का भी प्रावधान है। ऐसा करने के लिये रिकॉर्ड प्रबन्धन पद्धति का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु रिकॉर्ड प्रबन्धन सम्बन्धी रूपरेखा में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है।

सूचना अधिकारियों का पदस्थापन

तीसरा यह कि इन प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों को अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिये पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक सूचना अधिकारी पदनामित किये जाने का प्रावधान रखा गया है तथा इस हेतु भी ऐसे दिवस की समयबद्ध सीमा निर्धारित की गई है। उनके द्वारा सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी उपमण्डल स्तर

तथा उपजिला स्तर पर पदनामित किये जावेगें ताकि सूचना सम्बन्धी आवेदन देने हेतु प्रार्थी को लम्बी दूरियाँ तय न करनी पड़े। सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी प्राप्त आवेदन को सार्वजनिक सूचना अधिकारी को भेजने के लिये उत्तरदायी होंगे। अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत प्राधिकरणों द्वारा अपील अधिकारी भी पदनामित किये जावेंगे।

आवेदन

चौथा यह कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण का उल्लेख किये बिना, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकेगा। हाँ, अधिनियम के तहत दर्शाये छूट के प्रावधानों के तहत ही सूचना देने से इंकार किया जा सकता है। अधिनियम का फलक अत्यन्त व्यापक है, जिसके अर्न्तगत स्थापित, गठित, स्वामित्व में, नियंत्रित अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर–सरकारी संगठनो सहित सभी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित है। एक विशेष प्रावधान यह भी है कि पक्षेतर व्यक्ति के बारे में सूचना देने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जावेगा।

समयबद्धता

पाँचवा यह कि अधिनियम में समयबद्धता की विशेष व्यवस्था है :–

(क) लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपादित किया गया है।

(ख) लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है।

(ग) प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता, तो उसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणो से की जा सकती है तथा नागरिक आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता हैं।

(घ) यदि आवेदन किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तान्तरित किया जावेगा।

दण्डारोपण

छठा यह कि शिकायत या याचिका पर निर्णय देते समय आयुक्त दोषी सूचना अधिकारी पर रू. 250 ⁄ – प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण कर सकेगा। दण्ड की राशि रू. अधिकतम रु. 25000 ⁄ – तक हो सकती है। सूचना न देना, समय पर न देना, गलत अधूरी या भ्रामक सूचना देना, सूचना को नष्ट करना या सूचना देने में बाधा उत्पन्न करना अधिनियम के तहत दोषयुक्त व्यवहार की परिभाषा में आते हैं। दोषी के विरूद्ध आयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति भी कर सकता है।

नियम बनाने तथा अधिनियमों का प्रभाव

सातवाँ यह कि एक ओर जहाँ अधिनियम उपयुक्त सरकारों तथा सक्षम प्राधिकरणों को अपने प्रावधानों को संचालित करने हेतु स्वयं नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह भी प्रावधित करता है कि यदि कोई कानून, जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 भी शामिल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप है तो सूचना का अधिकार अधिनियम ही प्रभावी माना जावेगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के अर्न्तगत दिये किसी भी आदेश के सम्बन्ध में कोई न्यायालय किसी मुकद्दमें, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के अर्न्तगत ही याचिका दायर नहीं की गई हो।

आज के वैज्ञानिक युग में जब सूचना तन्त्रों का बहुत विकास हो चुका है एवं समाज स्वयं ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ सूचना उन्हे कई साधनों से प्राप्त हो रही है, वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपनी प्रसिद्धि, जन मानस में स्वयं बना रहा है। इस अधिकार को गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी पहुँचने पर ही इसका सही उपयोग नागरिकों एवं सरकार में मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बनाने में उद्देश्य को सिद्ध करेगा।

अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियम

1. सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, सूचना प्राप्त करे। इस हेतु राजस्थान सरकार ने अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत दिनांक 12.10.2005 को परिपत्र जारी कर नियम बनाये जो दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित होकर प्रभावी हुए। (परिशिष्ट–2)

2. नियम में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नियम 6 व 7 के तहत किसी प्रकार की सूचना चाहता है अथवा रिकॉर्ड देखना चाहता है तो वह उस हेतु निर्धारित शुल्क की अदायगी कर निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा। राशि नगद में अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा देय होगी। शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित रूप से है :–

क्रमांक	सूचना विवरण		कीमत / शुल्क
धारा 6 (1)		आवेदन सहित रू.	रु. 10 / – प्रति आवेदन पत्र
धारा 7 (1)	(क)	बनाये / नकल दिये गये	रू. 2 / – प्रति पृष्ठ
	(ख)	बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि हेतु	प्रतिलिपि का वास्तविक लागत / प्रभार
	(ग)	सेम्पल या मॉडल के लिए	वास्तविक लागत या कीमत
	(घ)	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	एक घण्टे के पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट रू. 5 / –

3. नियम 6 व 7 में आयोग को की जाने वाली अपील हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र, उसके साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र का ब्यौरा दिया गया है, जबकि नियम 7 में सुनवाई की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है। सलंग्न प्रपत्र में याचिकाकर्ता तथा उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम और पता होना चाहिए, जिसके विरूद्ध याचिका की गई है। साथ ही उसमें संक्षिप्त रूप से सम्बन्धित आदेश का ब्यौरा व तथ्यों का उल्लेख किया जावेगा। याचिका यदि अस्वीकृत मान लेने के उपलक्ष्य में दायर की जा रही हो तो आवेदन पत्र के मसौदे में संख्या, तिथि व उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था, का उल्लेख प्रार्थी द्वारा शामिल किया जाना होगा। याचिकाकर्ता को माँगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा साथ ही राहत हेतु आधार को भी बताना होगा।

4. नियम 6 के अर्न्तगत अपील के प्रार्थना–पत्र के साथ ही जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी सत्यापित प्रति व जिन दस्तावेजों पर प्रकरण आधारित है, उनकी प्रतियाँ भी लगानी होगी।

5. अपील के विनिश्चय हेतु आयोग अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर दिये लिखित साक्ष्य पर

विचार के साथ ही सम्बन्धित दस्तावेजों और अभिलेखों का परिशीलन करेगा। आयोग चाहे तो वह प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त तथ्यों की भी जाँच कर सकेगा। नियमों में यह भी प्रावधित है कि आयोग उस अधिकारी की भी सुनवाई करेगा, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया है तथा जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील दायर हुई है। नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रकरण के निर्णय हेतु आयोग चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति से भी शपथ– पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

नियमों के समापन पर यह भी निर्देशित है कि अपील पर साक्ष्य तथा सुनवाई खुले में होगी, आदेश लिखित में होगा तथा उसे खुले में सुनाया जावेगा।

यह सभी बातें स्पष्ट करनी है कि अपील की सुनवाई की प्रक्रिया एक खुले न्यायालय की भाँति पूर्णतया पारदर्शक व न्यायानुकूल होगी।

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएँ

गठन

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत् राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.06 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो कि पूर्णतया स्वायत्तशाषी है तथा जिसे अपने कार्यो के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर मे है।

आयोग अभी बहुत अल्प व प्रारम्भिक दौर में है व न्यूनतम प्रशासनिक व्यवस्था ही स्थापित कर पाया है जो कि निम्न प्रकार है:–

संगठनात्मक ढाँचा

राजस्थान सूचना आयोग

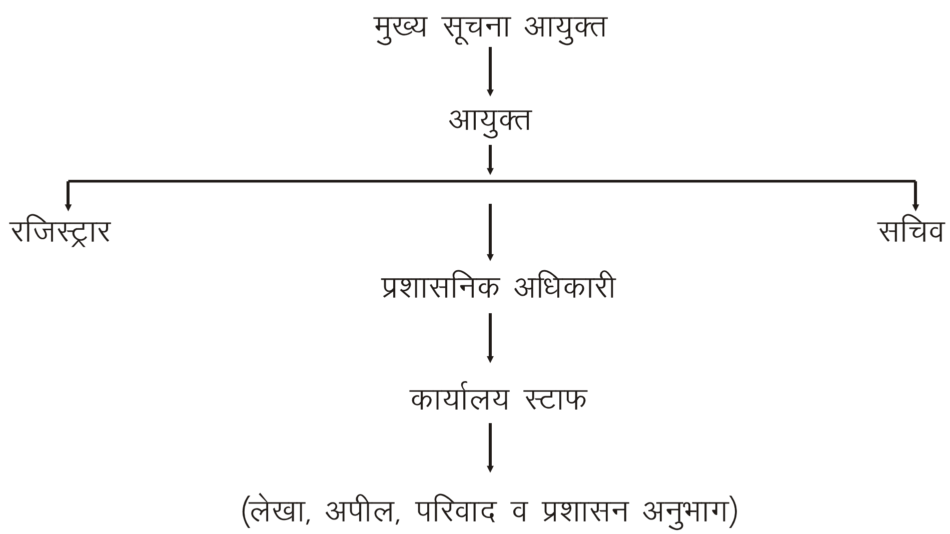

कुछ अन्य राज्य आयोग काफी सुसंगठित स्थिति में आ चुके हैं।

आयोग के कार्य व शक्तियाँ

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18,19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है । आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादन करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति

के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग मे निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

(1) **परिवाद संबंधी शक्तियाँ :—** आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं —

(क) राज्य के राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी ने उसकी आवेदन सूचना/अपील मीमों को अग्रेषित करने के लिये लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से मना कर दिया है।

(ग) लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसमें मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) लोक सूचना अधिकारी को दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) कानून में सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य प्रकरण। धारा 18 (1)

राज्य सूचना आयोग परिवाद की जांच करते समय, उसमें दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण, सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है —

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतिलिपियाँ मंगवाना;

(ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और

(च) अन्य निर्धारित प्रकरण।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य में प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा।

अपील पर निर्णय अपील दर्ज होने से 30 दिवस की अवधि में किया जायेगा। यदि अवधि बढ़ाई जाती है तो अधिकतम 45 दिवस में निर्णय किया जायेगा एवं इस अवधि के बढ़ने का कारण उल्लेख किया जायेगा। धारा 19(6)

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ती आरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को बदनियती से अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ती आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/– हो सकती है।

शास्ती आरोपित करने से पूर्व आयोग, लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

यदि संबंधित सूचना आयोग की, शिकायत या अपील का निर्णय करते समय वैसी धारणा बनती है तो वह उसके विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

(4) अधिनियम की कियान्वयन सुनिश्चिति :—

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :—

(1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

(2) लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।

(3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध मे।

(6) उससे अधिनियम की पालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाने के संबंध में। धारा 19(8)(ए) सूचना आयुक्त परिवादी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अर्न्तगत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:—

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

(5) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(6) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(7) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग के वर्ष 2006–07 के लिये 25.90 लाख रूपये ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटन किया गया है।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय गठन से अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में कार्यरत था तथा नवम्बर, 06 से हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) में एक आवासीय बंगले में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार से समुचित कार्यालय भवन के आवंटन हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

(7) नियमावली :–

आयोग द्वारा अपने स्वयं की ''मैनेजमेन्ट'' नियमावली बना ली गई है।

(8) बैठकें व समीक्षा :–

राज्य सूचना आयुक्त ने ''सूचना अधिकार नियम'' में प्रावधित आवश्यकताओं की क्रियान्विति व प्रगति–पालना की स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य के विभिन्न मुख्यालयों पर बैठकें आयोजित की –

1. जयपुर	दिनांक 09.11.06, 08.02.07 व 21.02.07
2. अजमेर	दिनांक 14.06.07 व 14.07.07
3. जोधपुर	दिनांक 24.06.06
4. कोटा	दिनांक 06.10.06
5. पाली	दिनांक 16.11.06

जहाँ जयपुर में विभिन्न विभागाध्यक्षों को आयुक्त महोदन द्वारा संबोधित किया जाकर उनसे पूरे राज्य की तत्संबंधी जानकारी ली गई, वहीं उन्हें बताया गया कि समय पर विभागीय मेन्युअल बनाने, नियमों की अनुपालना के अर्न्तगत सूचना का प्रकाशन, लोक सूचना/अपील अधिकारियों की व्यापक स्तर पर नियुक्ति व प्रशिक्षण, प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति व उनका निपटारा जैसी बातें आवश्यक हैं। इन बैठकों में अधिकारियों के सम्मुख संबंधित चाही गई सूचनाएँ देने में आने वाली कठिनाईयों तथा उनके निराकरण हेतु भी व्यापक विचार विमर्श किया गया।

विभिन्न जिला स्तरों पर आयोजित बैठकों में लोक प्राधिकरणों के अधिकारीगणों के साथ सीधे विचार–विमर्श हुआ व नियमों की पालना में अब तक की गई प्रगति व उनमें आने वाली कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी ने नियमों की शीघ्रताशीघ्र अनुपालना कर इस योजना में निहित भावना को फलीभूत करने का आश्वासन दिया।

अधिकारियों को इस हेतु व्यापक तौर पर प्रशिक्षित करने व प्रशिक्षण को विकेन्द्रीकृत करने का भी निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि लोक सूचना/अपील अधिकारीगणों के नाम–पट्ट महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार से लगने चाहिए कि जनता को यह ज्ञान हो सके कि उसे सूचना कहाँ से प्राप्त होगी।

आयुक्त द्वारा विभागीय सचिवों को निर्देश दिये गये कि वे सभी अपने स्तर पर अधीनस्थ विभागों से समय पर सम्पूर्ण सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रभावी बनावें चाहे फिर वह माहवारी व्यक्तिगत अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा हो या कुछ और, क्योंकि उन्हे अपनी ओर से यह जानकारी आयोग को हर वर्ष के अन्त में पहुँचानी ही होगी।

9. क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी अधिनियम की धाराऐं 18 से 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की व आवश्यक कदम उठायें। स्थापना से लगभग एक–डेढ़ वर्ष की इस छोटी सी अवधि में पूरे राज्य में लोक अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई, साथ ही उन्होने स्वयं खुद अपनी संस्था की स्थापना, उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में ही पुकार है :– ''सूचना का अधिकार'', एक ही माँग है कि ''मैं सूचना प्राप्त करने का अधिकारी हूँ।'' परिणामस्वरूप वर्ष 2006–07 में '' सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपीलों पर उठाये गये कदमों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः–

आवेदन पत्रों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष शिकायतों की संख्या
अप्रैल, 2006	0	0	0
मई, 2006	0	0	0
जून, 2006	2	0	2
जुलाई, 2006	5	1	6
अगस्त, 2006	1	2	5
सितम्बर, 2006	9	0	14
अक्टूबर, 2006	23	7	30
नवम्बर, 2006	2	8	24
दिसम्बर, 2006	12	12	24
जनवरी, 2007	2	2	24
फरवरी, 2007	19	6	37
मार्च, 2007	11	10	38

अपीलों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2006	0	0	0
मई, 2006	0	0	0
जून, 2006	0	0	0
जुलाई, 2006	15	7	8
अगस्त, 2006	51	7	52
सितम्बर, 2006	39	22	69
अक्टूबर, 2006	42	51	60
नवम्बर, 2006	53	9	104
दिसम्बर, 2006	97	54	147
जनवरी, 2007	118	98	167
फरवरी, 2007	90	104	153
मार्च, 2007	169	90	232

अपीलों की प्रगति का विवरण

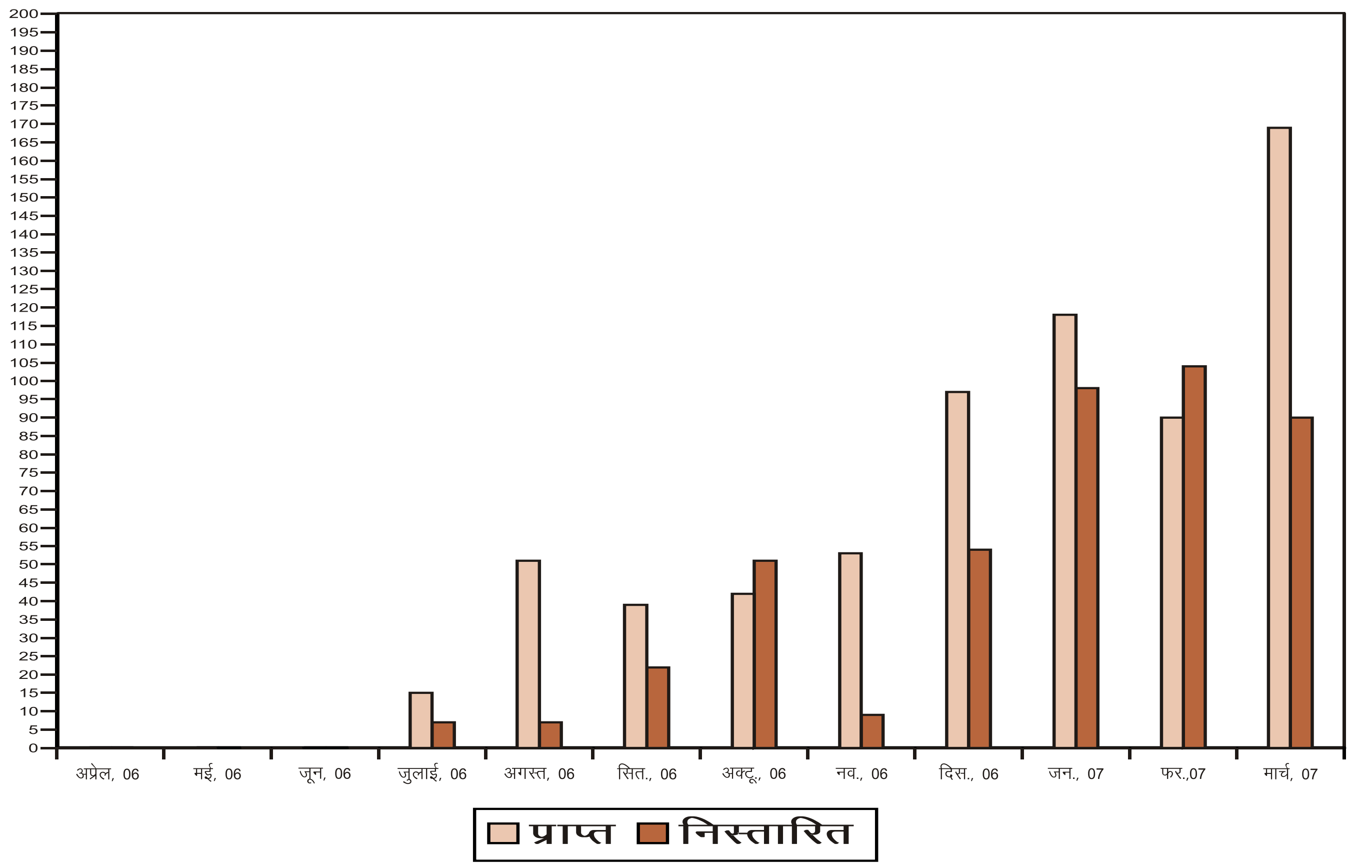

आवेदन पत्रों की प्रगति का विवरण u/s 6(1)

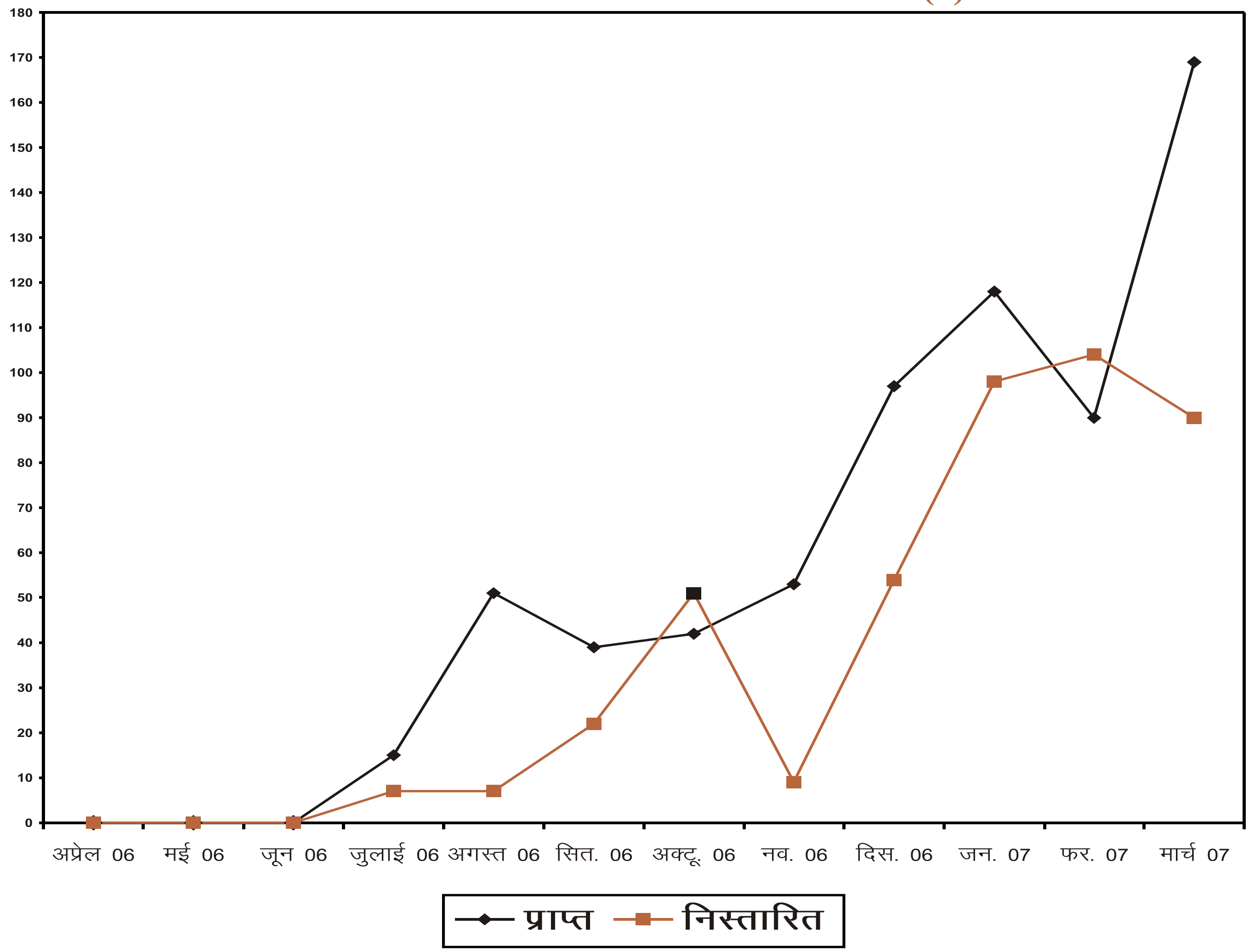

उपरोक्त आंकड़े इस रिपोर्ट को लिखने तक बहुत आगे निकल चुके हैं। एक ओर जहाँ सभी विभाग/प्रकोष्ठ तीव्र गति से जागरूक होते जा रहे हैं, वही जनता जनार्दन भी अपने इस अधिकार के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और अपनी समस्याओं को सुलझाने के ताले की, इस अधिकार को, महत्वपूर्ण चाबी मान रही है।

10. लोक सूचना अधिकारी :— नियुक्ति व प्रशिक्षण

राज्य की सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आदेश कर दिये हैं।

इन अधिकारियों को ही नही, बल्कि स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतों के पंचो/सरपंचो/प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

परिणामस्वरूप आज यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ कहीं कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, वहाँ ''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय में जरूर प्रशिक्षण होगा। इस आदेश की व्यापक स्तर पर क्रियान्विति भी हो रही है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, इन्दिरा गाँधी पंचायती संस्थान व Institute of Local Bodies है, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

11. विशेष निर्णय :–

वर्ष 2006–07 में आयोग के समक्ष कुल 674 अपीलें प्रस्तुत हुई, जिनका माहवारी वर्णन ऊपर दर्शाया गया है। आयोग ने उस वर्ष 442 अपीले निर्णित की।

निर्णयों में दिये गये कुछ नीतिगत बिन्दु निम्नलिखित रूप से हैं :–

(क) ''पत्रावली'' शब्द में पत्रावली के साथ ''नोटिंग्स'' (नोटशीट) भी शामिल है, तथा नियमों के अन्तर्गत प्रार्थी पत्रावली से संलग्न/सम्बन्धित कार्यालय ''नोटिंग्स'' देखने व उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ख) अपील अधिकारी को अपने पूर्व निर्णय पर नये तथ्य सामने आने, किसी गलती, भूल या कमी का पता लगने, या किसी ऐसे ही कारण के आधार पर पुनरावलोकन (Review) करने का अधिकार है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम दिनांक 13.10.2005 को प्रकाशित कर, इसे प्रभावी बनाया। (परिशिष्ट 2)। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम सूचना आयुक्त के नाते श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति व मुख्यालय पर पदस्थापन हुआ। प्रशासनिक विभाग की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित निर्धारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में अन्तरिम व्यवस्था की गई, जबकि उचित स्थायी व्यवस्था हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया है। बजट आवंटन, उपलब्धि व उपयोग नियमानुसार परिचालित है। राज्य का गृह विभाग इस हेतु ''नोडल'' विभाग है। आयोग ने अपने न्यायिक कार्यो/प्रक्रियाओं हेतु अपने ''रेगूलेसेन्स'' बनाकर प्रकाशित कर दिये हैं।

राज्य सरकार व राज्य आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य मुख्यालय में सचिवालय स्तर पर सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचनाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलेट अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपील अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/महापौर/सभापति अपील अधिकारी हैं। इसी प्रकार पंचायतों/समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारीगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपील अधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित हो चुके हैं। जहाँ नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी जिला/उपखण्ड स्तर पर अनको विभागीय कार्यालयों में तथा प्रत्येक उपखण्ड/तहसील व पुलिस स्टेशन पर लोक सूचना अधिकारी के पदस्थापन की कार्यवाही आधी–अधूरी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं छोटे शहरो के निवासियों को ''सूचना के अधिकार'' का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आशा की जाती है कि हर विभाग अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि ''लोक सूचना अधिकारी'' उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा। उसके स्वयं के किन्ही कारणो से अनुपस्थित होने पर किसी अन्य अधिकारी को परिवाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत भी किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रार्थी परेशान न हो।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्‌ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रर्दशित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयमेव प्रकाशन करावें व वेबसाइट पर दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। कई विभाग, जैसे–शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागो ने अभी इस नियम की अनुपालना नही की है। उनसे इसकी अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र किया जाना अपेक्षित है। वस्तुतः अनेको सचिव/विभागीय अध्यक्ष इस हेतु जागरूक व प्रयासरत नहीं है। चिन्ता का विषय तो यह है कि वे अपनी सूचनाओं से स्वयं ही सूचित नही है। उन्हे स्वयं नही मालूम कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण राजकीय निर्देशानुसार ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' की आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं हेतु प्रशिक्षित भी हुए अथवा नहीं, जिस हेतु उनके स्वयं के नीति निर्देश है। उनके लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जाने कि उनके विभाग में समय–समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित है। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागीय अध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नही होगी।

आयोग द्वारा सभी विभागीय अध्यक्षों/सचिवों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अधिनियम की धारा 25 में चाही गई सूचना उन्हें भेजने हेतु अपने सभी अधीनस्थ विभागों को पाबन्द करें, मंगावें व उसे एकीकृत रूप में आयोग को प्रस्तुत करें ताकि आयोग भी उस एकीकृत सूचना को राज्य सरकार व विधान सभा को प्रस्तुत कर सके।

उसी संदर्भ में सचिवालय स्तरीय शासन सचिवों/प्रमुख सचिवों से उनके अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रेषित सूचना को इकजाई कर परिशिष्ट 'क' तैयार किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वर्ष 2006–07 में राज्य लोक सूचना अधिकारियों के पास 9140 प्रार्थना पत्र सूचना देने हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 8355 को सूचना दे दी गई, 252 को सूचना देने से इन्कार किया गया, शेष 533 प्रार्थना पत्र सूचना दिये जाने हेतु लम्बित है। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि सूचना प्राप्ति के मामले में सबसे अधिक प्रार्थना पत्र ''स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग'' यानि नगर पालिकायें अर्थात् शहरी क्षेत्र को प्राप्त हुए। इसके पश्चात् प्रशासनिक सुधार विभाग है। इस विभाग की विशेषता यह भी रही कि इसने सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय पर सूचनायें उपलब्ध करा दीं तथा एक भी अनुत्तरित नहीं छोड़ी। सूचना नहीं देने में सबसे आगे ''खान विभाग'' व इसके बाद ''यातायात'' विभाग का नाम आता है। लम्बित प्रकरणों में भी सबसे ऊपर सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक अन्य स्थिति सामने आई है, वह है परिवाद के प्रस्तुतीकरण का स्थान। लोक सूचना अधिकारी, जिसके सामने परिवाद प्रस्तुत हुआ, ने यह पाया कि वह प्रार्थना कहीं और से सम्बन्धित है। फिर भी या तो उसे उस अधिकारी को स्थानान्तरित ही नहीं किया गया, या फिर अति विलम्ब से

स्थानान्तरित हुआ। आयोग ने अपने सम्मुख प्रस्तुत अपील सं. 580/07 ''कमल नयन कासानी बनाम अतिरिक्त जिलाधीश, चित्तौड़'' के प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि उचित स्थान पर परिवाद का यथा समय स्थानान्तरण लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है, जिससे वह बाध्य है, अधिनियम के अन्तर्गत सूचना निर्धारित समयावधि में दी जाना आवश्यक है, पर बहुधा सूचना देने में विलम्ब हुआ, जो वांछनीय नही था।

सूचना न देना, इन्कार करना या विलम्ब करने वाले कुछ विभागों ने आयोग को यह सूचित कर स्पष्टीकरण दिया है कि प्रार्थना पत्रों के साथ आवश्यक फीस की अदायगी का अभाव, इन्कारी या विलम्ब इसका कारण है। उनके अनुसार प्रार्थियों से फीस मांगी भी गई, पर उन्होंने नहीं दी। दूसरे कारण हैं चाही गई सूचना का स्पष्ट न होना, या फिर प्रार्थी से प्रार्थना का सम्बधित न होना। प्रत्येक विभाग मे इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का न बन पाना, कार्य अधिक होना, आदि भी इसके कारण बताये गये।

सूचना देने में आने वाली कठिनाई में ''विभागीय रिकॉर्डस'' के उचित संधारण का अभाव एक सामान्य समस्या है। यद्यपि राज्य सरकार ही नहीं, विभागीय स्तर पर भी ''रिकॉर्ड'' के रख–रखाव हेतु निर्धारित/निश्चित निर्देश/प्रावधान हैं, पर प्रायः सभी विभाग इस विषयक अनुपालना में उदासीन है। कहीं स्थान की कमी का बहाना है, कही स्टॉफ का, तो कहीं निर्देशों में अस्पष्टता का। आयोग ने विभागीय स्तर पर ''रिकॉर्ड'' के उचित रख–रखाव हेतु तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये है।

अधिनियम की, उसमें निहित भावना के अनुरूप, क्रियान्विति में एक अन्य बाधा है लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में नियुक्त ''लेखाकार'' ''कैशियर'' का व्यवहार या कहे, उसमें इस सम्बन्धी व्यवस्था/जानकारी का अभाव, परिवाद में चाही गई सूचना हेतु दी जाने वाले फीस का रूप, उसका प्रकार ''कैशियर'' द्वारा परिवाद की प्राप्ति में रोड़ा बताया जाता है और इसे लेकर लम्बी ''टालमटोल'' एक सामान्य कहानी है।

सूचना चाहने वाले प्रार्थीगणों से प्राप्त पत्रों में जिन बातों को सूचना न मिलने या फिर समय पर न मिलने का कारण बताया गया है, उनमे प्रार्थना पत्र देने के स्थान/विभाग के ज्ञान का अभाव, फीस किस रूप में, कितनी मात्रा में दी जावे, इसकी समुचित जानकारी का अभाव, स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन का अभाव, जिला व विभागीय स्तर पर समन्वय न होना तथा मूलतः सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों में ''गोपनीयता'' और बात न बताने की मानसिकता आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं। इसी प्रसंग में ऐसे प्रकरण भी सामने आये है जहॉ प्रार्थी ने मांगी तो सूचना है, पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सभी को यह कहा गया कि वे आकर रिकॉर्ड का निरीक्षण कर लें, प्रति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की प्रक्रिया, जिसमें किसी को कार्यालय में बुलाया जाए व रिकॉर्ड चिन्हित करवाया जावे, उचित नहीं है। साथ ही ऐसे भी प्रकरण दृष्टिगत हुए हैं, जहाँ तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना, उससे (यानि तीसरे पक्ष) से बिना विचार–विमर्श या जानकारी के उपलब्ध करा दी गई है। यह भी नियमानुकूल नहीं है।

यहाँ यह बताना उचित होगा कि ''सूचना का अधिकार'' एक नया अधिनियम है, एक नई व्यवस्था है, जिसे प्रभाव में आये अल्प समय हुआ है। इसके अलावा मूलबात हजारों वर्षो की ''गोपनीयता'' का ताना–बाना

व निर्णय लेने में किसी एक अधिकारी की सोच/क्षमता का अभाव अपने आप में अधिनियम की तुरत–फुरत क्रियान्विति को इतना शीघ्र व्यवहारिक नहीं बना सकती। इसमें समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी राजस्थान के बारे में कहा जा सकता है कि उपलब्ध समयावधि की पृष्ठभूमि में अधिनियम में प्रदत्त सूचना के अधिकार की सन्तोषजनक क्रियान्विति हुई है। कुछ चुनौतियां प्रारम्भ में आती हैं, आई हैं, पर दूर होकर, निपट जावेंगी और तब अधिनियम की भावना के अनुरूप, प्रदत्त अधिकार अवश्य शत–प्रतिशत फलीभूत होगा।

धारा 25(3)(ग) के अन्तर्गत दूसरा बिन्दू ''अपीलों'' को लेकर है। वर्ष 2006–07 की अवधि में राज्य लोक अधिकरणों में कुल 838 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 500 स्वीकृत हुईं, 88 अस्वीकृत हुईं व 250 लम्बित है। लम्बित में से 224 तीस दिन के भीतर की रहीं, जबकि 26 तीस दिनों से ज्यादा की अवधि की है। सबसे अधिक अपीलें ''प्रशासनिक सुधार विभाग'', ''नियुक्ति विभाग'', ''खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग'' में दायर हुईं। ''यातायात'' व ''देवस्थान'' विभागों में भी अपीलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहीं। अपीलों को निपटाने/निर्णित करने की गति सन्तोषप्रद रही। (ये सभी सूचना परिशिष्ट 'ख' में उपलब्ध है)।

अपीलों मे ''अस्वीकृति या पेन्डिग'' होने के कारणों में लोक सूचना अधिकारी स्तर पर निर्धारित ''फीस'' राशि का जमा न होना भी एक कारण बताया गया है। राज्य आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण निर्णयों का वर्णन अध्याय 4 में पृथक् से दिया गया है।

धारा 25(घ) का सम्बन्ध, इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से है। इस विषय में सूचना ''शून्य'' है। अर्थात् विचाराधीन वर्ष में इस बिन्दु सम्बन्धी कोई कार्यवाही किसी अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तावित नहीं की गई।

धारा 25(3)(ड) के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक प्राधिकरणों से राशि वसूली की सूचना प्राप्त हुयी है, शेष ने या तो सूचना ''शून्य'' दी है, या फिर दी ही नहीं हैः–

➢	देवस्थान विभाग	रु.	2895/–
➢	खान विभाग	रु.	8856/–
➢	प्राथमिक शिक्षा	रु.	82/–
➢	कार्मिक विभाग	रु.	19172/–
➢	ऊर्जा विभाग	रू.	19100/–
➢	राजस्व विभाग	रू.	19172/–
➢	पर्यटन विभाग	रू.	592/–
➢	उद्योग विभाग	रू.	1760/–
➢	आपदा प्रबन्धन विभाग	रू.	218/–
➢	श्रम एवं रोजगार	रू.	856/–
➢	कारखाना एवं बाइलर्स	रू.	216/–
➢	सार्वजनिक निर्माण	रू.	19172/–

➢	बाल विकास	रू.	566/–
➢	खाद्य एवं आपूर्ति	रू.	1504/–
➢	विद्युत एवं नियामक	रू.	310/–
➢	राज्य परिवन निगम	रू.	745/–
➢	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	रू.	110/–
➢	वन विभाग	रू.	1610/–
➢	मुद्रण एवं लेखन	रू.	92/–
	कुल	**रु.**	**97028/–**

जिन विभागों ने फीस की वसूली विषयक सूचना शून्य दी है, वे निम्नलिखित है :–

क्र.	**विभाग**	**क्र.**	**विभाग**
1.	मूल्यांकन	11.	ग्रामीण विकास
2.	सैनिक कल्याण	12.	सामाजिक न्याय
3.	इंदिरा गॉधी नहर परियोजना	13.	यातायात
4.	आवासन बोर्ड	14.	कला एवं संस्कृति
5.	जयपुर नगर निगम	15.	ललित कला अकादमी
6.	जयपुर विकास प्राधिकरण	16.	गृह (जेल)
7.	चुनाव	17.	सहायता
8.	जलदाय विभाग	18.	शिक्षा विभाग
9.	योजना	19.	संस्कृत शिक्षा
10.	राजस्व मण्डल		

शेष विभागों ने इस विषयक सूचना उपलब्ध नही कराई है।

आयोग द्वारा इस वर्ष में निपटाये गये प्रकरणों में कुल रु. 4500/– क्षतिपूर्ति दिलाई गई, जबकि रु. 5000/– का जुर्माना किया गया।

धारा 25(3)(च)(छ) आगामी अध्याय 6 में विस्तार से वर्णित है, जिसमें अधिनियम की भावना के अनुरूप उसकी सफल क्रियान्विति हेतु संप्रेषण/संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

परिवादों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2006–07)

प्रपत्र – क

क.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद		
1	प्रशासनिक सुधार विभाग	1109	1109	0	1109	0	0	0
2	कृषि विभाग	351	205	146	337	0	0	14
3	पशुपालन विभाग	86	68	18	82	0	0	4
4	सहकारिता विभाग	97	44	53	70	0	9	18
5	विभागीय जाँच विभाग	0	0	0	0	0	0	0
6	चुनाव विभाग	53	53	0	50	0	2	1
7	वित्त विभाग	512	348	164	431	40	20	21
8	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	78	78	0	70	0	2	6
9	वन विभाग	159	159	0	97	0	5	57
10	सामान्य प्रशासन	26	25	1	25	0	0	1
11	गृह विभाग	85	85	0	62	0	20	3
12	उद्योग विभाग	139	139	0	126	0	1	12
13	जल संसाधन विभाग	183	174	9	174	0	7	2
14	श्रम एवं रोजगार विभाग	39	35	4	10	19	4	6
15	विधि एवं न्याय विभाग	0	0	0	0		0	0
16	स्वायत्त शासन विभाग	2319	574	1745	2319	0	0	0
17	विकास आयुक्त	104	104	0	84	0	20	0
18	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	129	107	22	123	0	0	6
19	खान विभाग	627	266	361	485	58	55	29
20	पंचायती राज विभाग	149	0	149	149	0	0	0
21	कार्मिक विभाग	178	178	0	166	5	1	6
22	योजना विभाग	0	0	0	0	0	0	0
23	प्राथमिक शिक्षा विभाग	170	109	61	58	0	32	80
24	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	183	118	65	166	0	7	10
25	जन सम्पर्क विभाग	24	24	0	13	9	2	0
26	सार्वजनिक निर्माण विभाग	523	478	45	490	0	0	33
27	सहायता विभाग	6	6	0	5	0	0	1
28	राजस्व एवं उपनिवेशन	173	130	43	109	11	22	31

29	ग्रामीण विकास विभाग	31	31	0	16	0	0	15
30	समाज कल्याण विभाग	132	132	0	132	0	0	0
31	खेल एवं युवा मामले	3	3	0	2	0	1	0
32	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	1	2	3	0	0	0
33	तकनीकी एवं उच्च शिक्षा	90	90	0	64	26	0	0
34	पर्यटन कला एवं संस्कृति	56	46	10	47	6	0	3
35	यातायात विभाग	275	210	65	151	30	35	59
36	जनजाति क्षेत्र विकास	2	2	0	2	0	0	0
37	नगरीय विकास विभाग	29	29	0	19	0	0	10
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	10	10	0	6	0	0	4
39	देवस्थान विभाग	167	167	0	142	8	4	13
40		508	508	0	479	0	0	29
41	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	132	132	0	132	0	0	0
42	समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तजन	11	11	0	8	0	3	0
43		90	90	0	64	26	0	0
44	माध्यमिक शिक्षा	92	92	0	65	0	0	27
45	उच्च शिक्षा/तकनीकी	11	9	2	11	0	0	0
46	संस्कृत शिक्षा	41	41	0	22	0	0	19
47	एच.सी.एम. रीपा	10	10	0	9	1	0	0
48	मूल्यांकन संगठन	0	0	0	0	0	0	0
49	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	6	6	0	5	0	0	1
50		11	5	6	0	0	0	11
51	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता	18	11	7	17	0	0	1
52	पेन्शनर्स व कर्मचारी कल्याण	0	0	0	0	0	0	0
	योग :—	**9140**	**6162**	**2978**	**8142**	**213**	**252**	**533**

अपीलों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2006–07)

प्रपत्र – ख

क.	विभाग	कुल योग	निर्णित		शेष	
			स्वीकृत	अस्वीकृत	30 दिवस से अधिक	30 दिवस से कम
1	प्रशासनिक सुधार विभाग	165	158	1	6	0
2	कृषि विभाग	8	8	0	0	0
3	पशुपालन विभाग	3	3	0	0	0
4	सहकारिता विभाग	4	1	2	0	1
5	विभागीय जाँच विभाग	0	0	0	0	0
6	चुनाव विभाग	0	0	0	0	0
7	वित्त विभाग	35	27	2	6	0
8	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	32	18	12	0	2
9	वन विभाग	4	0	2	2	0
10	सामान्य प्रशासन	0	0	0	0	0
11	गृह विभाग	12	1	11	0	0
12	उद्योग विभाग	11	9	0	0	2
13	जल संसाधन विभाग	9	2	6	0	1
14	श्रम एवं रोजगार विभाग	2	0	2	0	0
15	विधि एवं न्याय विभाग	0	0	0	0	0
16	स्वायत्त शासन विभाग	176	44	0	132	0
17	विकास आयुक्त	156	78	25	48	5
18	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11	7	0	4	0
19	खान विभाग	7	5	1	0	1
20	पंचायती राज विभाग	14	14	0	0	0
21	कार्मिक विभाग	37	30	1	0	6
22	योजना विभाग	0	0	0	0	0
23	प्राथमिक शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0
24	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	0	0	0	0	0
25	जन सम्पर्क विभाग	0	0	0	0	0
26	सार्वजनिक निर्माण विभाग	13	6	0	0	7
27	सहायता विभाग	0	0	0	0	0
28	राजस्व एवं उपनिवेशन	8	7	0	1	0
29	ग्रामीण विकास विभाग	4	4	0	0	0
30	समाज कल्याण विभाग	11	11	0	0	0
31	खेल एवं युवा मामले	3	3	0	0	0
32	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0
33	तकनीकी एवं उच्च शिक्षा	6	6	0	0	0
34	पर्यटन कला एवं संस्कृति	1	1	0	0	0
35	यातायात विभाग	19	12	7	0	0
36	जनजाति क्षेत्र विकास	2	2	0	0	0

37	नगरीय विकास विभाग	3	2	1	0	0
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	4	3	1	0	0
39	देवस्थान विभाग	19	5	13	0	1
40		9	4	0	5	0
41	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	5	5	0	0	0
42	समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तजन	8	8	0	0	0
43		6	6	0	0	0
44	संस्कृत शिक्षा	0	0	0	0	0
45	माध्यमिक शिक्षा	35	15	0	20	0
45	एच.सी.एम. रीपा	2	1	1	0	0
46	मूल्यांकन संगठन	0	0	0	0	0
47	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	0	0	0	0	0
48		0	0	0	0	0
49	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता	0	0	0	0	0
50	पेन्शनर्स व कर्मचारी कल्याण	0	0	0	0	0
योग :–		**844**	**506**	**88**	**224**	**26**

अध्याय— 6

प्राप्त प्रार्थना पत्रों की प्रकृति का विश्लेषण

सूचना का अधिकार अधिनियम के जनता द्वारा उपयोग को विभागीय दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति कुछ इस प्रकार होगी :

विभागों को निम्न चार वर्गों में बाँटा जा सकता है —

(क) प्रशासनिक मामलों सम्बन्धी विभाग (ख) वित्तीय मामलों सम्बन्धी विभाग (ग) विकास सम्बन्धी विभाग एवं (घ) जनता से सीधे सम्पर्क वाले विभाग

प्रशासनिक मामलों सम्बन्धी विभाग की श्रेणी में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह विभाग, आपदा प्रबन्धन, मूल्यांकन, विधि एवं न्याय, सामान्य प्रशासन, उपनिवेशन, विभागीय जाँच, चुनाव आदि जैसे विभागों को सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय मामलों सम्बन्धी विभाग की श्रेणी में वित्त विभाग, पेन्शन व कर्मचारी कल्याण, आदि जैसे विभाग लिये गये हैं जिनसे आम जनता का सीधे संबंध नहीं पड़ता।

विकास सम्बन्धी विभाग की श्रेणी में कृषि, उद्योग, विकास आयुक्त, खान, योजना, सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, महिला बाल विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, विज्ञान आदि जैसे विभागों को लिया गया हैं।

जनता से सीधे सम्पर्क वाले विभाग की श्रेणी में वे विभाग है, जिनसे जनता का प्रतिदिन सीधे सम्पर्क होता है या जो आम जन की दैनिक समस्याओं से सीधे जुड़े हैं — यथा स्वायत्त शासन (नगरपालिकाएँ), पंचायती राज संस्थाऐं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायता, जलदाय, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, जन सम्पर्क, श्रम एवं रोजगार, वन, पशुपालन, समाज कल्याण, खेल एवं युवा, जनजाति क्षेत्र, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा आदि।

सूचना के अधिकार हेतु प्रार्थना पत्रों के प्रसंग में जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाले विभाग सबसे ऊपर है, जबकि विकास से जुड़ें विभाग दूसरे, प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित विभाग तीसरे व वित्त मामलों से सम्बन्धित विभाग चौथे स्थान पर है। चित्रण कुछ इस प्रकार है :—

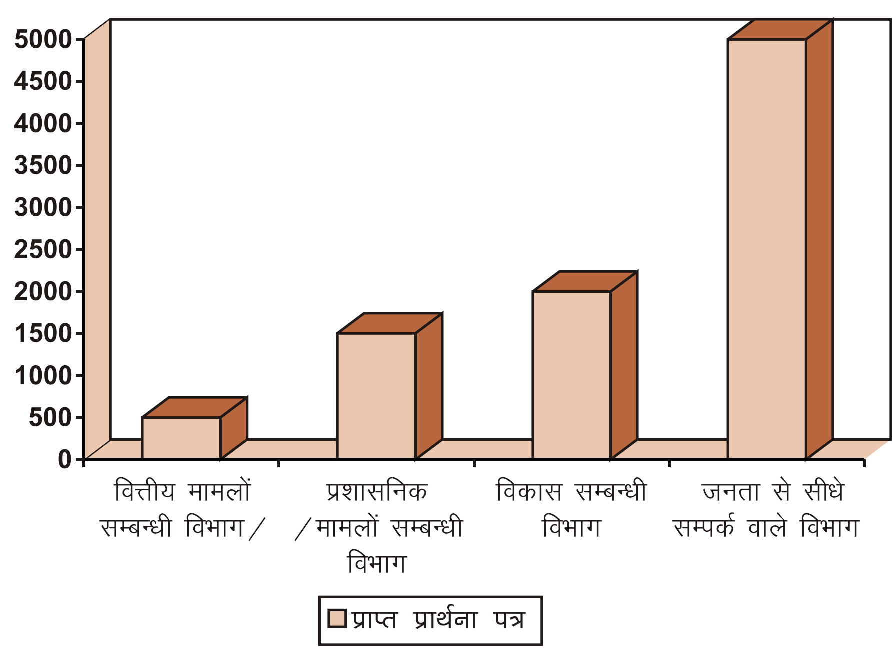

विभागों द्वारा प्रार्थना पत्रों का निस्तारण (स्वीकृति व अस्वीकृति मिलाकर) 90 प्रतिशत् से भी ऊपर है। यानि जहाँ प्रार्थना पत्रों की संख्या 9000 के ऊपर है, अनुत्तरित शेष बचे परिवाद मात्र लगभग 550 है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर अपीलों की स्थिति भी सामान्यतया कुछ ऐसी ही है। वित्त सम्बन्धी विभागों में मात्र 35 अपीलें दायर हुई, जबकि विकास सम्बन्धी विभाग में लगभग 200, प्रशासनिक मामलों सम्बन्धी विभागों में लगभग 250 व जनता से सीधे सम्पर्क वाले विभागों में कोई 375 अपीलें दायर हुई।

चित्रण निम्न प्रकार से है :–

अपीलों की स्थिति :–

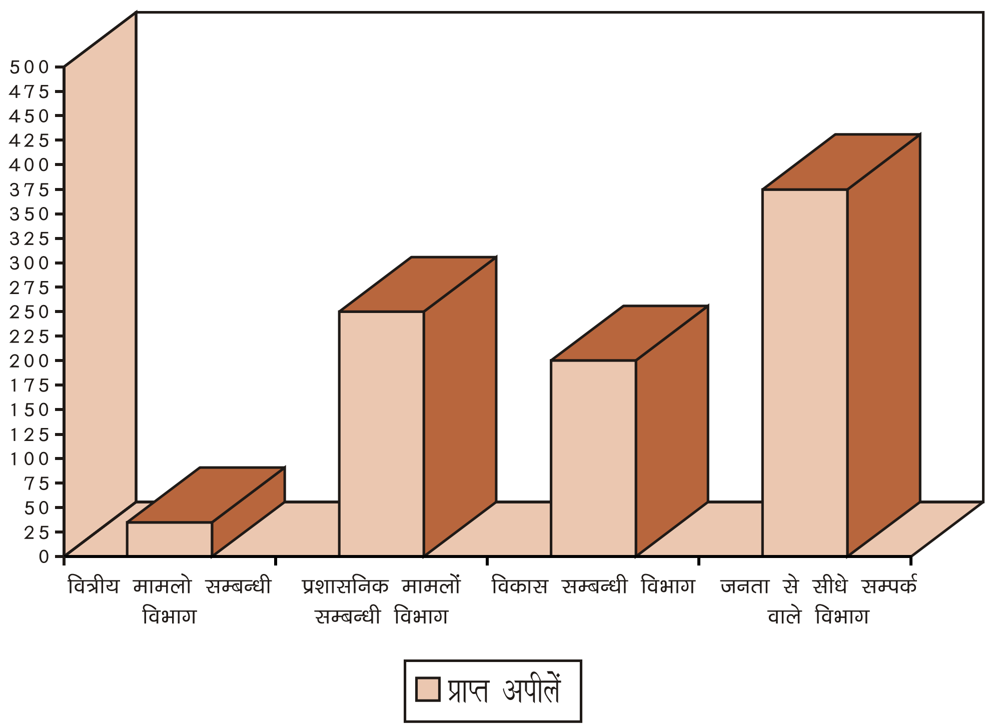

अपीलों के निस्तारण की विभागीय गति परिवादों की तरह द्रुत गति वाली न होकर काफी धीमी है। कुल 844 अपीलें वर्ष में दायर हुई , जिनमें से वर्ष के अन्त में 250 अपीलें अनिर्णीत शेष रहीं, जो 34 प्रतिशत से भी अधिक है। इनमें से भी 30 दिवस से अधिक दिवसों की शेष अपीलों की संख्या अत्यधिक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात्, लगभग दो वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। राज्य सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणो के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से है :–

1. यह कि अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी है। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागो व संगठनो के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत सूचनाओं की मॉग कर रहे है।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है, किन्तु जिस सूचना को देने में, पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करनी पड़े या फिर अनेकों पत्रावलियों को देखकर उनमें से तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो, वहाँ यह पाया जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारीगणों में कुछ अनचाहेपन या टालमटोल की मानसिकता है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें व लाभ उठावे। इस दिशा में अब तक राजकीय स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये है। कुछेक गैर–राजकीय संगठन इस क्षेत्र में अपना योगदान हेतु आगे आये हैं, पर उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के कारण उन्हे ज्यादा सफलता नही मिल पाई है। वस्तुतः यदि इस अधिकार को व्यापक रूप दिया जाना है तो सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से ही कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में प्रथमतया हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना, तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।
6. राज्य के अनेकों लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से ताल्लुक है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक

पुस्तक / पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नही पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे है, जिन्हे विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नही होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण की ''प्रथम अपील'' एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तु:स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि ''प्रथम अपील'' के निपटारे की स्थिति कतई सन्तोषप्रद नहीं है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहाँ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटा ही नहीं रहे है, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नही हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख ''दूसरी अपील'' ले जा रहे है, जहाँ इसकी मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

9. अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत उठाये जाने वाले कदमों तथा की जाने वाली कार्यवाहियों / व्यवस्थाओं के बारे में उचित एवं आवश्यक ''मोनिटरिंग'' व ''नियन्त्रण'' नहीं है। वस्तुतः तत्सम्बन्धी जिम्मेवारी या जबाबदेही किसी अधिकारी को प्रदत्त ही नही हुई है। इसे विभागीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है, जिसकी यदि इस कार्य में रूचि है तो वह हो रहा है और रूचि नहीं है तो नहीं हो पा रहा है।

10. इस अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना–पत्र या प्रथम अपील प्राप्त हो रही है, उनका निस्तारण समय पर हो रहा है या नहीं, उनके निस्तारण की मात्रा सन्तोषप्रद है या नही, इसे ''मोनीटर'' करने वाली कोई उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था नही है। परिणामस्वरूप ज्यादातर विभागो से सूचनाओं की प्रगति, प्राप्ति या प्राप्त सूचनाओं के नियमित अवलोकन या विश्लेषण का कार्य ''नही'' के बराबर है।

11. अधिनियम की धारा – 4 में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाऍ उपलब्ध कराई है, पर स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन 'वेबसाईट्स' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हे समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेकों सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नही किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नही आ पाया है। सूचनाओं के प्रसारण हेतु कुछ '' प्रोफॉर्माज् '' लोक अधिकारीगणों को उपलब्ध कराये भी गये है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे उनके ध्यान से छूट गये है।

12. अधिनियम की धारा 2 (j)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा वित्त पोषित है, वे इसमें प्रावधित

व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेको संस्थाऐं है, जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं, पर अभी तलक भी उन्हें सूचित नहीं किया गया है कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली संस्थाएं है तथा उन्हे इसके अनुकूल कार्यवाही करनी है।

13. अधिनियम की धारा 2 ( ) में वर्णित ''सूचना का अधिकार के अन्तर्गत वर्णित शब्द ''रिकॉर्ड'' की परिभाषा भी स्पष्ट नही है। प्रश्न उठता है कि क्या कर्मचारी/अधिकारी का ''वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन'', परीक्षाओं में दी गई उत्तर पुस्तिका, पदोन्नति समिति की सिफारिशें, पत्रावलियों की ''टिप्पणियॉं'', जैसी चीजें इसमें शामिल है ? स्पष्टीकरण आवश्यक है। पत्रावलियों में प्रशासनिक अधिकारीगण तथा मंत्रियों की टिप्पणीयों को अत्यन्त गोपनीय तथा न बताने योग्य माने जाने के विषय में व्यापक वाद–विवाद चल रहा है। कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। पक्ष–विपक्ष में विचारक खड़े है तथा अपने अपने तर्क दिये जा रहे है। सुदृढ़ संयमित विचार–विमर्श के पश्चात् भावनात्मक स्थिति से ऊपर उठकर निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस हेतु अपना सुझाव देकर इस विषय को, ''गोपनीयता'' की परिभाषा से मुक्त करने को कहा है। यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित ''Document'' किस प्रकृति का है, यह निर्णय उच्चस्थ अधिकारी पर छोड़ा जाना चाहिए, हर किसी के पास नहीं।

14. यह कि ''तीसरे पक्ष'' से सम्बन्धित सूचना के विषय में भी वस्तु:स्थिति स्पष्ट नहीं है। पाया जा रहा है कि अनेक लोक सूचना अधिकारीगण ''तीसरे पक्ष'' को बगैर नोटिस दिये और उसे बिना सुने, प्रार्थी को इस विषयक सूचना दे रहे हैं।

15. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने ''रिकॉर्ड्स'' का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रो पर सूचनाऍं उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है।

16. अधिनियम में सूचना चाहे जाने हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ 'फीस' जमा कराने की राशि व समय निर्धारित है, पर अनेकों प्रकरणों में पाया गया कि बिना फीस जमा कराये ही सूचना प्रदान कर दी गई है।

17. अधिनियम की धारा 7(5) के अन्तर्गत ''गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवार के परिवादी द्वारा मांगी जाने वाली सूचना हेतु उसके द्वारा कोई फीस नही होगी, यानि वह कोई राशि नहीं देगा। व्यावहारिक रूप से पाया जा रहा है कि इस धारा का लोगो द्वारा बहुत ही गलत लाभ उठाया जा रहा है। ये लोग ऐसे ही परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से विस्तृत सूचनाएँ प्राप्त कर रहे हैं। सुझाव यह है कि ऐसे प्रार्थी को भी, चाहे वह इस परिवार का भी हो, एक सीमित सूचना तो बिना किसी फीस के दी जाती रहे, शेष के लिये उस पर भी फीस का प्रावधान लागू हो।

18. आज भी लोक सूचना अधिकारीगण की मानसिकता में ''गोपनीयता'' का बिन्दु गहरे रूप में बैठा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप व चाही गई अनेकानेक सूचनाओं को देने से इन्कार कर देते है। अधिकारीगण को यह धारणा बनानी होगी कि सूचना प्रदान करना एक साधारण व्यवहार है, छिपाना या इन्कार करना एक अपवाद।

मजदूर किसान शक्ति संगठन
द्वारा आयोजित कार्यशाला

मजदूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स
द्वारा आयोजित कार्यशाला

'कट्स' द्वारा आयोजित
कार्यशाला

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है :

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारो के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनो के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिको को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक है, उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1), और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुंरत प्रभावी होंगे और इस अधिनियमन के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत होंगे।

परिभाषाएं :

2. इस अधिनियम मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'समुचित सरकार' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध मे जो–

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है,राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उप धारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभ्रिपेत है;

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उप धारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभ्रिपेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उप धारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) 'मुख्य सूचना आयुक्त' और 'सूचना आयुक्त' से धारा 12 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड़) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत हैः

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की, जिसमे ऐसी सभा है, दशा मे अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राईवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से :

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत :

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रतिः

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट, प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या ना हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति, दस्तावेंजो, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा 15 की उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड़) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(ढ़) 'पर व्यक्ति' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्रिपेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा ।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सभी अभिलेखो को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवक्र के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर :

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वियन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध मे ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए;

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनो को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चियों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा :

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उप–धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अंत्यत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रोनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण : उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के प्रयोजनों के लिए ''प्रसारित'' से सूचना पट्टो, संमाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमे किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम :

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियो को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उप–धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उप मंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारों की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उप–धारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधो के किसी उल्लघंन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए :

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी; को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा; परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है :

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यो से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे मे आवेदक को तुरंत सूचना देगा;

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

अनुरोध का निपटारा

7. (1) धारा 5 की उप–धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, पर विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा;

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,:

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप मे और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उप–धारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा :

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रोनिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए;

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी ओर ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, :

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण :

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी : और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, संसूचित करेगा ।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी :

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो :

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है,

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा :

(घ) सूचना, जिसमे वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिती को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है :

(ड.) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है:

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना :

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवलीन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा।

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकडे जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पडेगी :

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जांएगे:

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते है, प्रकट नहीं किए जाऐगें :

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एंकातता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकंटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। (1923 का 19)

(3) उप–धारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां से अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलो के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार :

9. धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लघंन अन्तर्वलित करेगा।

पृथक्करणीयता :

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि :

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है, पृथक् करने के पश्चात, उपलब्ध कराया जा रहा है:

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध मे विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे मे उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति सूचना :

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितो की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति , केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति के उप–धारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दी गई सूचना मे यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन :

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियो का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाऐं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त : और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तो की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा :

(ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता : और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक

सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तो द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होगें।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा शर्तें

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद–धारण करेगा और पुननियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप मे कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या

उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते :

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैः

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निर्वाचन आयुक्त की है :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसको वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोडकर सेवानिवृति फायदों के अन्य रूपो के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम मे या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तो और सेवा की अन्य शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य

कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होगी जो विहित की जाएं।

सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

14. (1) उप–धारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलबिंत कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है : या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता, अन्तर्वलित है : या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है : या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है: या

(ड़) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा .... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्तः और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा :

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेताः और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है,वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होगें ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य मे अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा की शर्तें

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते :

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है :

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वहीं होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैः

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के

संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य, प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदो के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदो के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तो के वेतन, भत्तो और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होगी, जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का हटाया जाना

17. (1) उप–धारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को ,आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त :

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है : या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है : या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है : या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है : या

(ड़) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यो के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उप–धारा (1)के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य :

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें :

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा

ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है :

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है :

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है :

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है :

(ड़) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है : और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो सकता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय यही शक्तियां प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। (1908 का 5) अर्थात् :

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस

अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

अपील

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उप–धारा (1) या उप–धारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उप–धारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बें दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना–आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु यथास्थिाति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियो में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है :

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गो को प्रकाशित करना;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अन्तर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

शास्ति

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिाति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

21. कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या

उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें। (1923 का 19)

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन :

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना :

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमे पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में,यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के धीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनो के भीतर दी जाएगी।

(5) उप–धारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

मानीटर करना और रिपोर्ट करना

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगा, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा :

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधो की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियां;

(ङ) इस अधिनियम के अधिन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते है;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशों, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशल बनोन से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, यथासाध्यशीघ्रता से, उप धारा (1) मे निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान–मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना :

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक :

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिऐ प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारीयों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे

किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो, उप–धारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) इस अधिनियम के उद्धेश्य;

(ख) धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ड़) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अन्तर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गो के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीस से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति

27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थातः

(क) धारा 4 की उप–धारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उप–धारा (1) और उप–धारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उप–धारा (6) और धारा 16 की उप–धारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा कें निबंधन और शर्ते;

(ड़) धारा 19 की उप–धारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात

(i) धारा 4 की उप–धारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ii) धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(iii) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन संदेय फीस; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा

नियम तत्पश्चात, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2002 का 5)

पहली अनुसूची

धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, जो..मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञात करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत–तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी), अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा–सीआईडी–सीबी, दादरा और नागर हवेली।
18. विशेष शाखा – लक्षद्वीप पुलिस।

टी.के. विश्वनाथन

सचिव, भारत सरकार

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक :– एफ.9(23)ग्रुप–5/2005 जयपुर, दिनांक : 14.10.2005

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 27) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण मे ''राजस्थान राइट टू इन्फॉरमेशन रूल्स 2005, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) उपखण्ड के असाधारण विशेषांक दिनांक 13.10.2005 में प्रकाशित हुए है का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 (संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इन नियमो का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22), अभिप्रेत है।

(ख) '' आयोग '' से राजस्थान सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(ग) '' धारा '' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नही किये गये शब्दो और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हे अधिनियम मे समनुदेशित किया गया है।

3. आवेदन की फीस :–

धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंकर्स चैक के रूप में दस रूपये की आवेदन फीस दी जायेगी।

4. सूचना देने के लिए फीस :–

(1) धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय पोस्टल ऑर्डर, मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप मे फीस निम्नलिखित दरो से प्रभारित की जायेगी :–

(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागज में) के लिए दो रूपये

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत

(ग) सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक लागत कीमत और

(घ) अभिलेखो के निरीक्षण के लिए, प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नही और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रूपये की फीस।

(2) धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरो से प्रभारित की जायेगी

(क) डिस्क या फ्लापी में दी गई सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लापी पचास रूपये और

(ख) मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रूपये।

5. **अपील की अन्तर्विष्टी हेतु :–** आयोग को की जाने वाली अपील में निमनलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी,

(1) अपीलार्थी का नाम और पता,

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता,

(3) संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियां जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य

(5) प्रार्थना या अनुतोष के आधार

(6) अधिनियम या नियमों के उपबंध

(7) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोष

(8) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन और

(9) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील के विनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

6. **अपील के साथ सलंग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–** आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सलंगन किये जावेंगे, अर्थात :–

(1) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है,

(2) अपीलार्थी द्वारा अवलम्ब लिये गये और अपील मे निर्देशित दस्तावजों की प्रतिलिपियां और

(3) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजो की अनुक्रमणिका।

7. **अपील निश्चित करने की प्रक्रिया :–** अपील विनिश्चित करते समय आयोग

(1) संबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथपत्र पर मौखिक और लिखित साक्ष्य पर विचार करेगा,

(2) दस्तावेजो, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण करेगा,

(3) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ब्यौरों या तथ्यों की जाँच करेगा,

(4) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुनेगा जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है,

(5) अन्य व्यक्ति को सुनेगा और

(6) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का विनिश्चय किया है या अन्य व्यक्ति से शपथ पत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।

8. **आयोग द्वारा नोटिस की तामील :–** आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामिल किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(1) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके

(2) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए तस्ती परिदान करके

(3) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा

9. **आदेशिका का हस्ताक्षरित किया जाना :–** खुली कार्यवाही में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(वी.एस.सिंह)

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग